कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण में दायर अपील संख्या 1134/2021 रामस्वरूप सांखला बनाम स्टेट व अन्य में दिए गए निर्णय दिनांक 09.02.2021 के संबंध में प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन को अभिलेख एवं संबंधित सेवा नियमों की स्थिति के संबंध में देखा गया।

अपीलार्थी द्वारा अपने अभ्यावेदन में मुख्य रूप से यह कथन किया है कि अपीलार्थी को प्राध्यापक(स्कूल शिक्षा) उर्दू के पद पर आदेश दिनांक 02.02.2021 के द्वारा पदोन्नति पर उदयपुर संभाग में पदस्थापित किया गया है। अपीलार्थी का द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापक पद की वरिष्ठता सूची अवधि 2013–14 में वरिष्ठता क्रमांक 2634(1) नाम दर्ज है एवं उनसे कनिष्ठ कार्मिक मनोजकुमार सोयल का इसी वरिष्ठता सूची में वरिष्ठता क्रमांक 2652 पर नाम दर्ज है। कनिष्ठ कार्मिक मनोजकुमार सोयल को प्राध्यापक(स्कूल शिक्षा) उर्दू के पद में वरिष्ठ दर्शाते हुए उन्हें पूर्व चयन वर्ष में चयनित कर पदोन्नति प्रदान की गई है। अतः वरिष्ठ कार्मिक होने के कारण उन्हें मनोजकुमार सोयल के समान पूर्व चयन वर्ष में चयनित कर जयपुर अथवा टोंक जिले में किसी स्थान पर पदोन्नति पर पदस्थापित किया जावे। माननीय अधिकरण ने अपीलार्थी को सक्षम प्राधिकारी को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं सक्षम प्राधिकारी प्राप्त अभ्यावेदन का राज्य सरकार व विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आख्यात्मक आदेश प्रसारित कर निस्तारित करने के आदेश पारित किये हैं। अभ्यावेदन में की गई मांग के संबंध में माननीय अधिकरण के द्वारा अपील में पारित आदेश एवं अभिलेख तथा नियमों की स्थिति को देखा गया। अपीलार्थी द्वारा की जा रही मांग के सम्बंध में संबंधित अभिलेखीय स्थिति एवं नियमों का परीक्षण करने पर यह पाया गया कि राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के प्रावधानानुसार प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) के पदों पर चयन वर्षवार उपयुक्त एवं पात्र अभ्यर्थियों की वरिष्ठतानुसार पात्रता सूची निर्मित की जाकर संबंधित प्रवर्ग हेतु निर्धारित पदों के प्रति पात्रता में उपलब्ध संबंधित प्रवर्ग के अभ्यर्थियों का वरिष्ठतानुसार चयन हेतु विचार किया जाता है। प्राध्यापक(स्कूल शिक्षा) उर्दू की वर्ष 2019–20 की रिक्तियों के प्रति चयन हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 21.05.2019 के समय अपीलार्थी का द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापक पद की संबंधित वरिष्ठता सूची में अनुसूचित जाति वर्ग दर्ज नहीं था, अतः नियमानुसार इन्हें उक्त चयन वर्ष हेतु निर्धारित रिक्तियों के प्रति चयन पर विचार किया जाना संभव नहीं था। अपीलार्थी का संबंधित वरिष्ठता सूची में अनुसूचित जाति वर्ग का विवरण प्राध्यापक(स्कूल शिक्षा) उर्दू की वर्ष 2019–20 की रिक्तियों के प्रति चयन हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 21.05.2019 के पश्चात् आदेश दिनांक 23.06.2020 के द्वारा किया गया है, उक्त विवरण दर्ज होते ही इन्हें प्राध्यापक(स्कूल शिक्षा) उर्दू की 2020–21 की रिक्तियों के प्रति डीपीसी बैठक दिनांक 24.12.2020 में चयनित किया जाकर पदोन्नति प्रदान कर दी गई। कनिष्ठ कार्मिक मनोजकुमार सोयल का नाम संबंधित वरिष्ठता सूची में पूर्व से दर्ज था, अतः कनिष्ठ कार्मिक के चयन से अपीलार्थी के चयन की तुलना नहीं की जा सकती है। विभाग द्वारा द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापक पद की संबंधित उप निदेशक(माध्यमिक) कार्यालय स्तर पर अस्थाई वरिष्ठता सूची जारी की जाकर आपत्तियां आमंत्रित की जाती है तथा प्राप्त आपत्तियों का निराकरण करते हुए मण्डल स्तरीय स्थाई वरिष्ठता सूची जारी की जाती है। इसके उपरांत विभाग द्वारा सभी मण्डलों की स्थाई वरिष्ठता सूचियों को मिश्रित किया जाकर राज्य स्तरीय अस्थाई वरिष्ठता सूची जारी की जाकर आपत्तियां आमंत्रित की जाती है तथा प्राप्त आपत्तियों का निराकरण करने के उपरांत राज्य स्तरीय स्थाई वरिष्ठता सूची जारी की जाती है। इस प्रकार सभी अभ्यर्थियों को जारी वरिष्ठता सूचियों को पहले मण्डल स्तर पर एवं बाद में राज्य स्तर पर आपत्ति प्रस्तुत करने का दो बार अवसर प्रदान किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा संबंधित वरिष्ठता सूची में नामांकन एवं अनुसूचित जाति वर्ग के अंकन के सम्बंध में निर्धारित अवधि में न तो मण्डल स्तर पर एवं न ही राज्य स्तर पर जारी अस्थाई वरिष्ठता सूची में किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रस्तुत की गई। अपीलार्थी को प्राध्यापक(स्कूल शिक्षा) उर्दू की चयन वर्ष 2020–21 की रिक्तियों के प्रति डीपीसी से चयनोपरान्त पदोन्नति पर पदस्थापन स्थान विकल्पित करने हेतु विभाग द्वारा आयोजित परामर्श शिविर दिनांक 25.01.2021 को बुलाया गया एवं अपीलार्थी स्वयं के द्वारा परामर्श शिविर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, आमेट (222785) जिला राजसमन्द में पदोन्नति पर पदस्थापन दिये जाने की सहमति प्रदान की गई। विभाग के आदेश क्रमांक

—2.

शिविरा / माध्य / संस्था / सी–5 / डीपीसी / अर्थशास्त्र,भूगोल व अन्य विषय / 2020–21 / (उर्दू)1–35 दिनांक 02.02.2021 के द्वारा विकल्पित स्थान पर पदोन्नति प्रदान कर पदस्थापन प्रदान कर दिया गया। विभाग द्वारा पदोन्नति पर पदस्थापन स्थान विकल्पित करने का अवसर प्रदान करते हुए डीपीसी से चयनित अभ्यर्थियों को उनकी सहमति के आधार पर पदस्थापित किया गया है, अतः अपीलार्थी द्वारा पदोन्नति पर जयपुर अथवा टोंक जिले में पदस्थापित करने सम्बंधी मांग विचार योग्य नहीं बनती है।

अतः अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन में प्रस्तुत तथ्यों का अभिलेखीय एवं नियमों की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में गहनतापूर्वक परीक्षण, मनन एवं विचारण करने के उपरांत अधोहस्ताक्षकर्ता इस निष्कर्ष पर पहूंचे हैं कि अपीलार्थी का संबंधित अवधि हेतु प्रकाशित राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूची में अनुसूचित जाति वर्ग का इन्द्राज आदेश दिनांक 23.06.2020 के द्वारा, प्राध्यापक(स्कूल शिक्षा) उर्दू की वर्ष 2019–20 की रिक्तियों के प्रति चयन हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक के पश्चात् किये जाने के कारण, इन्हें प्राध्यापक(स्कूल शिक्षा) उर्दू के पद पर चयन वर्ष 2019–20 की रिक्तियों के प्रति डीपीसी से चयन कर पदोन्नति लाभ प्रदान करने एवं पदोन्नति पर पदस्थापित स्थान परिवर्तन सम्बंधी की जा रही मांग स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकृत की जाती है। माननीय अधिकरण के आदेश दिनांक 09.02.2021 के द्वारा अपीलार्थी को पदोन्नति पश्चात् पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण की छूट प्रदान किये जाने सम्बंधी आदेश दिये गये हैं, अतः अपीलार्थी को आदेश क्रमांक शिविरा / माध्य / संस्था / सी–5 / डीपीसी / अर्थशास्त्र,भूगोल व अन्य विषय / 2020–21 / (उर्दू)1–35 दिनांक 02.02.2021 के द्वारा प्राध्यापक(स्कूल शिक्षा) उर्दू के पद पर प्रदत्त पदोन्नति पर पदस्थापित स्थान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, आमेट (222785) जिला राजसमन्द में दिनांक 10.07.2021 तक कार्यग्रहण करने हेतु कार्यग्रहण अवधि बढ़ाई जाती है, शेष शर्तें मूल पदोन्नति आदेश दिनांक 02.02.2021 में वर्णितानुसार यथावत रहेंगी। सभी संबधित सूचित हों।

(सौरभ स्वामी)
I.A.S.
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा–राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–माध्य / संस्था / ओएसी / अधिकरण अपील सं. 1134 / 2021 दिनांक 05/07/21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर
2 संयुक्त विधि परामर्शी, शिक्षा(विधि प्रकोष्ठ)विभाग, राजस्थान, जयपुर
3 उप शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2)विभाग, राजस्थान, जयपुर
4 संबंधित संयुक्त निदेशक(स्कूल शिक्षा) उदयपुर / सिस्टम एनालिसिस्ट, कार्यालय हाजा
5 जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय–माध्यमिक) उदयपुर / टोंक
6 जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक–विधि) जयपुर
7 अनुभाग अधिकारी, विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा / संस्थापन सी–5 प्रभाग
8 संस्था संस्था प्रधान, राउमावि, आमेट (राजसमन्द) / रामावि, अविकानगर(टोंक)
9 संबंधित याचिकार्थी श्री रामस्वरूप सांखला व0अ0 उर्दू, रामावि, अविकानगर जिला टोंक (रजिस्टर्ड)
10 रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक(कार्मिक),
माध्यमिक शिक्षा–राजस्थान,
बीकानेर